

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2020-21//469

दिनांक : 29-09-2020

### --: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान आवासन मण्डल की वर्तमान पंजीकरण योजनाओं में कोई सफल आवेदक पंजीकरण करवाने के पश्चात् कब्जा राशि जमा करवाने से पूर्व जमा राशि रिफण्ड चाहता है तो पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि काटकर शेष जमा राशि बगैर ब्याज लौटा दी जाती है।

मण्डल की 243 वीं बैठक दिनांक 21.09.2020 के विचार बिन्दु सं. 243.43 के निर्णय के अनुसार दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ की गयी योजनाओं एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं में सफल आवेदक घोषित होने के पश्चात् कब्जा राशि जमा कराने से पूर्व, यदि आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगी :-

क्र. सं.	प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	श्रेणी (आय वर्ग)	कटौती की जाने वाली राशि
1.	दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	EWS/ LIG	अनुमानित लागत का अधिकतम 5 प्रतिशत तक (मय जीएसटी)
2.	दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	MIG-A/ MIG-B एवं HIG	अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक (मय जीएसटी)

(पवन अरोड़ा)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव/निजी-सचिव, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज. आवा. मं., .....
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राज. आवा. मं., .....
10. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. लेखाधिकारी (वृत्त) ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12.  कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
13. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार